16. रिक्त स्थान : किसी पदाधिकारी के ट्रांसफर, त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान रिक्त होने पर कार्यकारिणी किसी भी आजीवन सदस्य को मनोनीत कर सकती है। इसकी स्वीकृति आम सभा में लेनी आवश्यक होगी।

17. अनुपस्थिति : सभा का कोइ भी पदाधिकारी यदि लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो महामत्रीं उससे स्प-टीकरण मागेंगा तथा कार्यकारिणी को उस के विरूद उचित कारवाही करने / निकालने का अधिकार होगा।

18. विवाद : किसी भी प्रकार के विवाद होने पर कार्यकारिणी में 2/3 बहुमत से ही विवाद को निपटाया जायेगा।

19. कार्यकारिणी को भंग करना : कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार कुल आजीवन सदस्यों की 2/3 बहुमत से होगा और यह अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नही होगा।

20. सदस्यता से निष्कासित : सभा के किसी भी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व आजीवन सदस्य को किसी भी प्रकार का आरोप जो सभा से संबधित होगा या सभा के सविधांन की अवहेलना या कोई भी कार्यविधि जिस से सभा की इमेज खराब होती हो या सभा के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो या होने की संभावना हो तो उस की सारी जांच पडताल करके महामंत्री सभा के प्रधान की अनुमति से संबधित पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व आजीवन सदस्य से स्पष्टिकरण मागेंगा जिसका उतर उसे 7 दिन के अन्दर देना होगा। उतर कार्यकारिणी की बैठक में या व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर उचित कारवाही की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक मे 2/3 बहूमत से निर्णय लेकर संबधिंत पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व आजीवन सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है।